न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—132/2018/223 (2018/000132)

1. हरजी पुत्र स्व0 भागू, जाति रावत, निवासी ग्राम दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र नेमीचन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 27.7.2011 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 54/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—27.11.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.7.2011 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वादी अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन अवस्थित खाता संख्या 180 के खसरा नंबर 68/1085 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 68/1221 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 70/1222 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0, खसरा नंबर 94/1070 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.97 है भूमि लाडू, हरजी, छोटिया एवं बरदा पुत्रगण भागू के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियां रही है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है । इन कृषि भूमियों में से खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 में से 3/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारान लाडू, छोटिया एवं बरदा पुत्रगण स्व0 भागू से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा सांवरलाल पुत्र छोगा, जाति जाट, निवासी नया गांव गोला, तह0 पीसांगन द्वारा क्रय किया गया जिसके आधार पर 3/4 हिस्सा जरिये नामांतकरण 108 दिनांक 20.1.2009 द्वारा क्रेता सांवरलाल के नाम खातेदारी का अंकन किया गया । सांवरलाल से 3/4 हिस्सा जरिय पंजीकृत विक्रय पत्र वादी द्वारा क्रय किया गया जिसके आधार पर 3/4 हिस्सा जरिये नामांतकरण संख्य 123 दिनांक 20.5.2009 द्वारा वादी के नाम खातेदारी का अंकन किया गया तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का निहित करता है किन्तु उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है जिससे उनके मध्य धोरा, सींव डोल—पाल इत्यादि

को लेकर विवाद होता रहता है । अतः खसरा नंबर 862 रकबा 0.68 है0 का वादी एवं प्रतिवदी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनके प्रतिनिधियों को स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति से पाबंद किया जावे िकवे वादी के 3/4 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । अधी0न्याया0 ने वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट उपस्थित हुआ । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.7.2011 को प्रकरण में दिनांक 27.7.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 27.7.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को दिनांक 20.7.2011 को न्यायालय में आवश्यकता होने पर बुला लेने का आश्वासन दिया जिससे प्रतिवादी/अपीलांट अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रतिवादी के अभिभाषक ने प्रतिवादी के विश्वास को घात पहुंचाते हुए स्वंय के सतर पर ही आगामी पेशी दिनांक 27.7.2011 को न्यायालय में प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण को निर्णित करवा दिया जिसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं दी गई । ऐसी स्थिति में अधी0 न्याया0 द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया एव ंना ही न्यायालय को प्रतिवादी की मौके की कब्जा स्थिति बाबत् ही अवगत कराया गया था एव ंना ही प्रतिवादी के हस्ताक्षर सहमति बाबत् अधी0न्याया0 की आदेशिका पर करवाये गये इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने सीधे ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये है जों विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । प्रतिवाद/अपीलांट एवं उ सके अन्य तीन भाईयों के मध्य पूर्व में ही विवादित आराजियात का विभाजन बाहमी बंटवारे से कर लिाय गया था तथा इसी आपसी बंटवारे अनुसार चारों भाई अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मौके पर मिट्टी की डोल लगाकर वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा कर रखा है जो मिट्टी की डोल आज भी मौके पर बनी हुई है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसे विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.7.2011 अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी रूप से प्रार्थी अभिभाषक द्वारा दी गई सहमति के आधार पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी । उक्त निर्ण व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.5.2018 को जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादीग्रस्त आराजी पर आकर प्रार्थी को धमकी दिये जान पर हुई तब प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में जानकारी प्राप्त कर दिनांक 11.5.2018 को

निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निस्तारण किया जावे ।

7. हमनें अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.12.2010 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/अपीलांट को सम्मन जारी करने के आदेश पारित किये किन्तु लगभग 8 पेशियों तक प्रतिवादी/अपीलांट के सम्मन अदम तामील प्राप्त होने से प्रकरण में तारीख पेशी तब्दील होती रही । तत्पश्चात् दिनांक 20.7.2011 को प्रतिवादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में जरिये अभिभाषक श्री रूपचंद चौधरी के उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाबदावा हेतु समय चाहा जिस पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.7.2011 नियत की । नियत दिनांक 27.7.2011 की आदेशिका का अवलोकन किया गया जिसमें यह अंकित है कि ''पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । पक्षकारान अभिभाषक ने मौखिक निवेदन किया कि प्रकरण बंटवारा का है तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही न कर सीधे ही उन्हें सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण आज करावे । इस पर पक्षकारा अभिभाषक की सहमति होने पर दोनों पक्षों के अभिभाषक को सुना गया । वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आधार भूत खसरा नंबर 862 रकबा 0.668 है0 वाके स्थित ग्राम दौलतखेड़ा की आराजी में निहित वादी के 3/4 हस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से का बंटवारा कब्जे के आधार पर किया जाता है ।'' अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तिथि को प्रतिवादी/अपीलांट अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं थे तथा न ही प्रतिवादी/अपीलांट की सहमति से बंटवारा हेतु कोई सहमति ही थी । अधी0न्याया0 ने मात्र अपीलांट के अधिवक्ता की सहमति के आधार पर बंटवारा की प्रारंभिक आज्ञाप्ति जारी की है जिसे विधिसम्मत् नही माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते तद्उपरांत प्रतिवादी/अपीलांट स्वंय की सहमति होने पर ही सहमति के आधार पर डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसी कोई सहमति प्रदान करने तथा अपने अधिवक्ता को सहमति दिये जाने के संबंध में कोई निर्देश दिये जाने से इंकार किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नही माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा

अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनाक 27.7.2011 को अपास्त योग्य पाया जाता है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 27.7.2011 खारिज की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर